रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1986/ज्येष्ठ 21, 1908
No. 288] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1986/JYAISTHA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1986

अधिसूचना

सं. 340/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 850(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985(1986 का 5)की अनुसूची के उप-शीर्ष सं. 3919.00 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के

रबतः आसंजक टेपों को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है।

[फा.सं. 93/38/86-सी एक्स-3]

एस.सी.जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th June, 1986

NOTIFICATION

No. 340|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts self-adhesive tapes of plastics, falling under sub-heading No. 3919.00 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the duty of excise leviable thereon, which is specified in the said Schedule, as is in excess of twenty-five per cent ad valorem.

[F. No. 93|38|86-CX.3]

S. C. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986